NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-12-2025

विषय सूची

» "औद्योगिक पार्क स्मार्ट अवसंरचना के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं"
» खेल पेशेवरों की आगामी पीढ़ी तैयार करने के लिए व्यापक इंटर्नशिप नीति
» मातृ मृत्यु दर (MMR)
» विदेश मंत्री एस जयशंकर का श्रीलंका दौरा
» राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
» भारत के निर्यात कुछ राज्यों में केंद्रित

संक्षिप्त समाचार

» तंजावुर पेंटिंग
» राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC), लोथल, गुजरात
» काशिवाज़ाकी-कारिवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र
» चीन ने OPEC+ को पीछे छोड़कर मुख्य तेल मूल्य निर्धारक की भूमिका निभाई
» वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक(FRI)
» आकाश-NG के मूल्यांकन परीक्षण
» ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट
» गैंडे का डीहॉर्निंग
» ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल

"औद्योगिक पार्क स्मार्ट अवसंरचना के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं"

संदर्भ

- औद्योगिक पार्क भारत की औद्योगिक और नवाचार रणनीति का एक प्रमुख साधन बनकर उभरे हैं, जो तीव्र विनिर्माण वृद्धि, अधिक निवेश, रोजगार सृजन एवं सतत विकास को सक्षम बनाते हैं।

औद्योगिक पार्क क्या है?

- औद्योगिक पार्क एक नियोजित और सीमांकित क्षेत्र होता है जिसे विशेष रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित किया जाता है। इसमें सामान्य सुविधाएँ होती हैं जैसे विद्युत, जल, आंतरिक सड़कें, अपशिष्ट प्रबंधन, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, लॉजिस्टिक्स सेवाएँ और सुरक्षा।
- ये पार्क सामान्यतः एक समर्पित प्राधिकरण या डेवलपर द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जो भूखंडों के आवंटन, अवसंरचना के रखरखाव, नियामक अनुपालन और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं।

भारत में औद्योगिक पार्क की स्थिति

- DPIIT द्वारा विकसित IILB, एक GIS-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म ने पूरे भारत में लगभग 4,500+ औद्योगिक पार्कों का मानचित्रण किया है, जो कई लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं, जिनमें नए निवेशों के लिए पर्याप्त भूमि अभी भी खाली है।
- औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम (IPRS) 3.0 के अंतर्गत, पार्कों को "लीडर्स", "चैलेंजर्स" और "एस्पायरर्स" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण अवसंरचना की गुणवत्ता, संपर्कता, सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर आधारित है, जो पार्कों के प्रदर्शन का राष्ट्रीय स्नैपशॉट प्रदान करता है।

औद्योगिक पार्क का महत्व

- ये तैयार-उपयोग भूमि, सामान्य अवसंरचना और सुव्यवस्थित अनुमतियों के माध्यम से प्रवेश बाधाओं एवं लेन-देन लागत को कम करते हैं, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है और घरेलू व विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जाता है।
- पार्क ऐसे क्लस्टर बनाते हैं जो पैमाने की अर्थव्यवस्था, आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण, नवाचार प्रसार और MSME भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, जिससे भारत का विनिर्माण आधार एवं निर्यात क्षमता सुदृढ़ होती है।
- हरित अवसंरचना और संसाधन दक्षता पर बढ़ते जोर के साथ, औद्योगिक पार्क पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार औद्योगिकीकरण और समावेशी, रोजगार-समृद्ध विकास के साधन भी बन रहे हैं।

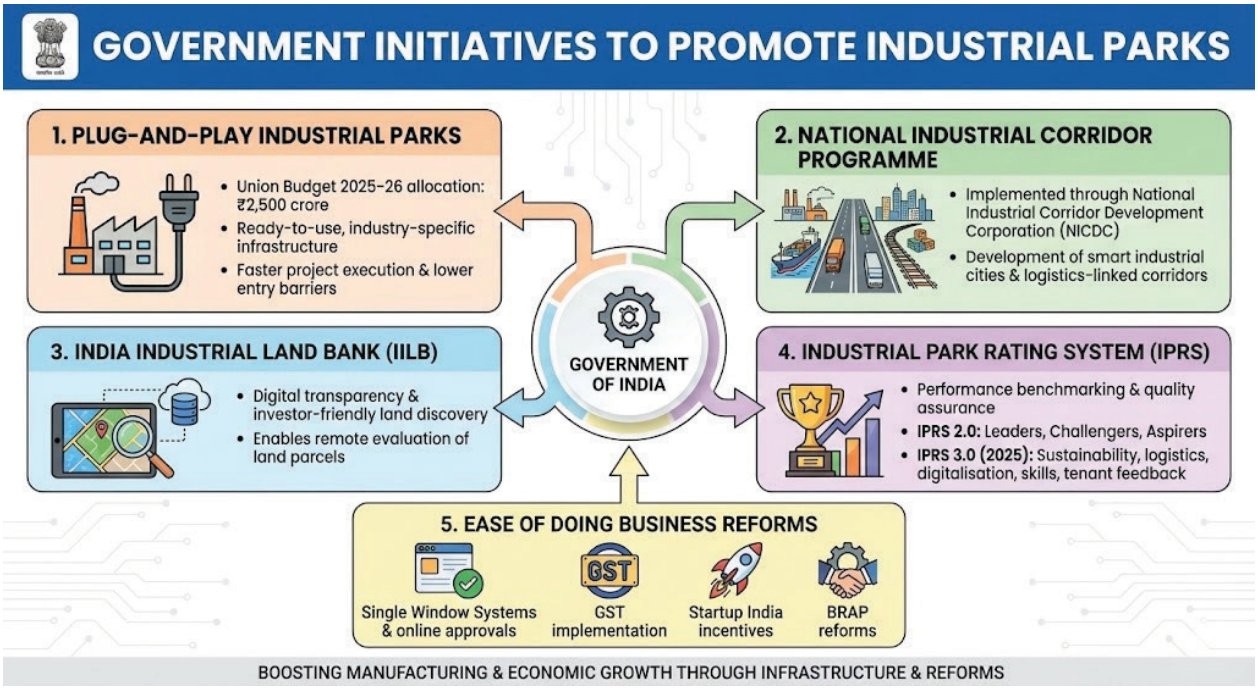

प्रमुख चुनौतियाँ

- **पार्कों में असमान गुणवत्ता**: कई पार्क खराब अंतिम-मील संपर्कता, अविश्वसनीय उपयोगिताओं और अपर्याप्त सामाजिक अवसंरचना का सामना करते हैं, जबकि IPRS 3.0 के "लीडर" पार्कों की स्थिति बेहतर है।
- **भूमि और शासन संबंधी मुद्दे**: भूमि अधिग्रहण में देरी, खंडित स्वामित्व, कमजोर पार्क-स्तरीय प्रबंधन और शहरी/स्थानीय निकायों के साथ समन्वय की कमी वर्तमान पार्कों के इष्टतम उपयोग को बाधित करती है।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएँ**: प्रदूषण मानकों का अनुपालन न होना, अपर्याप्त सामान्य अपशिष्ट उपचार, और सीमित श्रमिक आवास, सुरक्षा व लैंगिक-संवेदनशील सुविधाएँ स्थानीय विरोध को जन्म दे सकती हैं।

आगे की राह

- IPRS 3.0 रेटिंग का उपयोग करके पिछड़े पार्कों को उन्नत करें और "चैलेंजर" तथा "एस्पायरर" पार्कों में संपर्कता, उपयोगिताओं, डिजिटल प्रणालियों एवं हरित अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता दें।
- कौशल पारिस्थितिकी तंत्र, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और स्टार्टअप क्लस्टरों के साथ गहन एकीकरण करें ताकि औद्योगिक पार्क केवल कारखानों के लिए भूमि बैंक न रहकर नवाचार के केंद्र बन सकें।
- पेशेवर पार्क प्रबंधन प्राधिकरणों, पारदर्शी उपयोग-शुल्क ढाँचे और सुदृढ़ पर्यावरणीय व सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से शासन को सुदृढ़ करें, ताकि सतत और समावेशी औद्योगिकीकरण सुनिश्चित हो सके।

Source: PIB

खेल पेशेवरों की आगामी पीढ़ी तैयार करने के लिए व्यापक इंटर्नशिप नीति

संदर्भ

- हाल ही में, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (MYAS) ने एक व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य उभरते खेल पेशेवरों को संरचित, व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। यह नीति राष्ट्रीय खेल नीति और *खेलो भारत नीति 2025* के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

नीति का अवलोकन

- **इंटर्नशिप कार्यक्रम का दायरा और पैमाना:** प्रति वर्ष 452 इंटर्नशिप युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (MYAS) और इसकी स्वायत्त संस्थाओं में दी जाएंगी, जिनमें शामिल हैं:
  - भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)
  - राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA)
  - राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL)
- **बहु-कार्यात्मक क्षेत्र:** इंटर्नशिप 20 से अधिक कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करेगी, जैसे खेल प्रबंधन, खेल विज्ञान, कार्यक्रम संचालन, संचार, आईटी, विधिक मामले और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशासन।
- **लक्षित प्रतिभागी:**
  - इंटर्नशिप केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली होगी।
  - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और खेल संस्थानों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र पात्र होंगे।
  - न्यूनतम आयु 20 वर्ष होगी और वरीयता प्राप्त अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी। हालांकि, स्नातकोत्तर, डॉक्टोरल या शोध विद्वानों के लिए आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।
  - क्षेत्रों में खेल प्रबंधन, कोचिंग, फिजियोथेरेपी, खेल विश्लेषण, पोषण और कार्यक्रम प्रबंधन शामिल हैं।
- **इंटर्नशिप की अवधि और संरचना:** सामान्यतः 6 सप्ताह से 6 महीने तक।
  - इंटर्न्स को SAI क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (NCOE) और खेलो इंडिया योजनाओं में नियुक्त किया जाएगा।
- **वृति(Stipend) और प्रमाणपत्र:**
  - इंटर्न्स को वृति मिलेगा (अवधि और नियुक्ति के अनुसार भिन्न)।
  - सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर SAI और MYAS द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जो भविष्य में सरकारी खेल क्षेत्र की नौकरियों के लिए मान्य होगा।

- **केंद्रित क्षेत्र (विज्ञान, डोपिंग-रोधी और नवाचार):**
  - पहल खेल क्षेत्र में डिजिटल दक्षता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
  - NADA में इंटर्न्स डोपिंग-रोधी जागरूकता, विधिक अनुपालन और केस प्रबंधन में शामिल होंगे।
  - NDTL में इंटर्न्स को प्रयोगशाला परीक्षण, नमूना विश्लेषण और प्रदर्शन अखंडता पर शोध का अनुभव मिलेगा।
- **भर्ती और चयन:**
  - इंटर्नशिप जनवरी और जुलाई में द्विवार्षिक भर्ती चक्र के माध्यम से होगी।
  - चयन एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पारदर्शिता और योग्यता-आधारित प्रक्रिया से किया जाएगा।
- **मार्गदर्शन और प्रशिक्षण:**
  - इंटर्न्स को खेल वैज्ञानिकों, कोचों और प्रशासकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।
  - केंद्रित क्षेत्र होंगे: प्रदर्शन विश्लेषण, कार्यक्रम लॉजिस्टिक्स, एथलीट समर्थन सेवाएँ और खेल विपणन।
- **संरचित अधिगम और व्यावसायिक अनुभव:**
  - इंटर्न्स को लाभ मिलेगा:
  - डोमेन विशेषज्ञों द्वारा संरचित ऑनबोर्डिंग और मार्गदर्शन।
  - नीति निर्माण और क्रियान्वयन का अनुभव।
  - खेलो इंडिया, *टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS)* और *टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप (TAGG)* जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के साथ व्यावहारिक अनुभव।

अपेक्षित परिणाम

- कुशल खेल कार्यबल का विकास।
- प्रशिक्षित मानव पूंजी के माध्यम से भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना।
- आगामी पाँच वर्षों में 500+ संगठनों में नियुक्तियों के माध्यम से 4 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ पहुँचाना।
- भारत में खेल विज्ञान और विश्लेषणात्मक अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
- शैक्षणिक पाठ्यक्रम और व्यावहारिक खेल प्रशासन के बीच बेहतर सामंजस्य।

राष्ट्रीय खेल दृष्टि के साथ संरेखण

- यह इंटर्नशिप नीति राष्ट्रीय खेल नीति और *खेलो भारत नीति 2025* के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, जो केंद्रित है:
  - युवा सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण
  - खेल प्रशासन का पेशेवरकरण
  - स्वच्छ, पारदर्शी और विज्ञान-आधारित खेल प्रथाओं का संवर्धन
- यह भारत की उस महत्वाकांक्षा का समर्थन करती है जिसमें एक भविष्य-तैयार खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शामिल है, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन को बनाए रखने और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम हो।

Source: News On AIR

मातृ मृत्यु दर (MMR)

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर 89% हो गई है, जिससे मातृ मृत्यु दर (MMR) में उल्लेखनीय कमी आई है।

मातृ मृत्यु क्या है?

- मातृ मृत्यु वह है जब किसी महिला की गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था समाप्त होने के 42 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाती है, चाहे गर्भावस्था की अवधि और स्थान कुछ भी हो। यह मृत्यु गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित या उससे बढ़ी हुई किसी भी कारण से होती है, लेकिन आकस्मिक या संयोगवश कारणों से नहीं।
- **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR):** प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या।
- **मातृ मृत्यु दर:** 15-49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में प्रति लाख महिलाओं पर मातृ मृत्यु की गणना, जिसे *सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS)* के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है।

- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.1:** 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को 70 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों से कम करने का लक्ष्य।

भारत द्वारा की गई प्रगति

- भारत में MMR 2014-16 में 130 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों से घटकर 2018-20 में 97 हो गया।
- राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत प्रसव 2015-16 में 79% से बढ़कर 2019-21 में 89% हो गया।
- केरल, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एवं तमिलनाडु में संस्थागत प्रसव 100% है और 18 अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में यह 90% से अधिक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% प्रसव संस्थानों में होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 94% है।

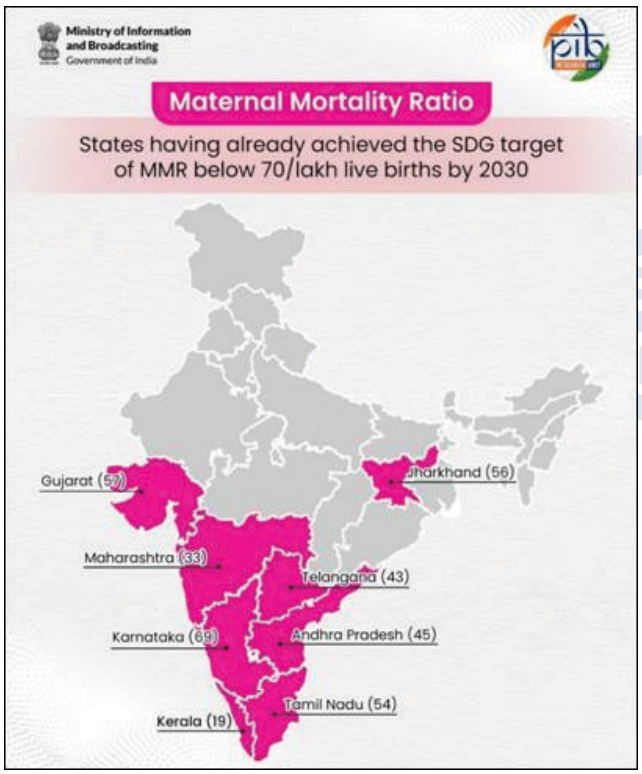

भारत के सामने अब भी चुनौतियाँ

- **उच्च जेब व्यय (OOPE):** नीतिगत प्रयासों के बावजूद, परिवारों को आपातकालीन स्थिति में जांच, दवाओं और निजी सेवाओं का व्यय उठाना पड़ता है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:** लैंगिक गतिशीलता, कम शिक्षा स्तर, महिलाओं की सीमित निर्णय लेने की शक्ति और मातृ देखभाल से जुड़ी कलंक समय पर देखभाल लेने में बाधा डालते हैं।
- **उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं में वृद्धि:** देर से मातृत्व, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गर्भधारण के बीच कम अंतराल जैसी प्रवृत्तियाँ गर्भावस्था को अधिक जोखिमपूर्ण बनाती हैं।
- **दूरस्थ क्षेत्रों में कमजोर अवसंरचना:** ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में आपातकालीन प्रसूति देखभाल, विश्वसनीय परिवहन एवं रक्त भंडारण सुविधाओं की कमी है।

मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सरकारी पहल

- **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** 2005 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। यह विशेष रूप से कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाली गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मातृत्व लाभ कार्यक्रम।
  - परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए ₹5000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है, कुछ शर्तों के अधीन।
  - *मिशन शक्ति* के अंतर्गत, योजना (PMMVY 2.0) दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन देती है, यदि वह बच्ची है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** 2016 में शुरू किया गया, यह गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक महीने की 9 तारीख को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता है।
- **लक्ष्य (LaQshya):** 2017 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **क्षमता निर्माण:** ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए MBBS डॉक्टरों को एनेस्थीसिया (LSAS) और प्रसूति देखभाल (EmOC) कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है।
- **मातृ मृत्यु निगरानी समीक्षा (MDSR):** इसे संस्थानों और समुदाय स्तर पर लागू किया जाता है ताकि उचित स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (VHSND):** मातृ और शिशु देखभाल सहित पोषण सेवाओं के लिए एक आउटरीच गतिविधि।
- **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल:** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का नाम-आधारित वेब ट्रैकिंग, ताकि उन्हें नियमित एवं पूर्ण सेवाएँ मिल सकें।

मातृ स्वास्थ्य में नवाचार

- **मध्य प्रदेश का 'दस्तक अभियान':** एक सामुदायिक अभियान जो मातृ स्वास्थ्य जोखिमों की शीघ्र पहचान और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप पर केंद्रित है।
- **तमिलनाडु का आपातकालीन प्रसूति देखभाल मॉडल**: एक सुदृढ़ रेफरल प्रणाली जो गर्भवती महिलाओं को समय पर आपातकालीन देखभाल सुनिश्चित करती है, जिससे मातृ जटिलताओं में कमी आती है।

आगे की राह

- भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और 2020 तक MMR को 100 से नीचे लाने का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
  - हालाँकि, 2030 तक SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार करना और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करना देश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

Source: TH

विदेश मंत्री एस जयशंकर का श्रीलंका दौरा

संदर्भ

- भारत ने *ऑपरेशन सागर बंधु* के अंतर्गत श्रीलंका को भारत की *फर्स्ट रिस्पॉन्डर* गतिविधि के हिस्से के रूप में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज देने का वचन दिया है।

परिचय

- यह यात्रा भारत की *पड़ोस पहले नीति* को रेखांकित करती है।
- 'ऑपरेशन सागर बंधु' के अंतर्गत, कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने मानवीय सहायता, राहत सामग्री और चिकित्सीय सहायता जुटाई एवं वितरित की, ताकि श्रीलंका सरकार के प्रयासों को सशक्त किया जा सके।

भारत और श्रीलंका संबंध

- **कूटनीतिक संबंध:** श्रीलंका की स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए।
- **व्यापारिक संबंध:**
  - भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA) वर्ष 2000 में हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच व्यापार विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
  - वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और श्रीलंका के बीच वस्तु व्यापार 5.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 4.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर और श्रीलंका का निर्यात 1.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - भारत पारंपरिक रूप से श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में रहा है और श्रीलंका भी SAARC में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
  - भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है।
- **समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग:**
  - 2011 में *कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन* स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
  - भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति', त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास "दोस्ती" और नौसैनिक अभ्यास SLINEX आयोजित करते हैं।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:**
  - हाल ही में दोनों पक्षों ने समुद्री, ऊर्जा और जन-से-जन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक *विजन दस्तावेज* अपनाया।

- दोनों देशों के बीच एक *भूमि पुल* विकसित करने की योजना है, जिससे भारत को त्रिंकोमाली और कोलंबो बंदरगाहों तक भूमि मार्ग से पहुँच मिल सके तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

- **विकास सहयोग:**
  - श्रीलंका को भारत की अनुदान सहायता वर्तमान में लगभग 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - इसमें 390 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पूर्ण परियोजनाएँ, 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की चल रही परियोजनाएँ और 178 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पाइपलाइन परियोजनाएँ शामिल हैं।
- **बहुपक्षीय मंच सहयोग:**
  - भारत और श्रीलंका कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों जैसे SAARC, *दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ* और BIMSTEC के सदस्य हैं, जो सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध:**
  - 1977 में हस्ताक्षरित *सांस्कृतिक सहयोग समझौता* दोनों देशों के बीच समय-समय पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आधार है।
- **पर्यटन:**
  - भारत पारंपरिक रूप से श्रीलंका का शीर्ष आगंतुक पर्यटन बाजार रहा है, इसके बाद चीन का स्थान है।
  - श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023 में भारत सबसे बड़ा पर्यटक स्रोत रहा।

चिंताजनक क्षेत्र

- **मछुआरों का मुद्दा:** श्रीलंका की भारतीय समुद्री सीमा के निकटता के कारण दोनों पक्षों के मछुआरे प्रायः मछली भंडार की खोज में सीमा पार कर जाते हैं।
  - 2016 से, दोनों पक्षों के मछुआरों की तात्कालिक चिंताओं को दूर करने और स्थायी समाधान खोजने के लिए *संयुक्त कार्य समूह (JWG) ऑन फिशरीज* तंत्र लागू है।
- **चीन की बढ़ती उपस्थिति:** हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों में चीन के बढ़ते रणनीतिक निवेश चिंता का विषय हैं।
  - परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी और बंदरगाहों के संभावित सैन्य उपयोग की आशंका है।
- **समुद्री सुरक्षा चिंताएँ:** पाल्क जलडमरूमध्य और आसपास के जलक्षेत्रों में समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना एवं तस्करी।
  - घटनाओं को रोकने के लिए समुद्री सीमाओं पर निरंतर समन्वय की आवश्यकता।
- **श्रीलंका में घरेलू अस्थिरता:** राजनीतिक अशांति या सरकार में बदलाव समझौतों और विकास परियोजनाओं की निरंतरता को प्रभावित करते हैं।
  - आंतरिक अस्थिरता के कारण अवसंरचना या आर्थिक परियोजनाओं में देरी होती है।

आगे की राह

- भारत और श्रीलंका गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध साझा करते हैं, जिन्हें व्यापार, रक्षा एवं विकास सहयोग ने बेहतर किया है।
- हालाँकि, चीनी प्रभाव और आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- आर्थिक और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देकर तथा सुदृढ़ जन-से-जन संबंधों के माध्यम से हिंद महासागर में एक लचीला, परस्पर लाभकारी एवं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साझेदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

Source: AIR

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

समाचार में

- हाल ही में भारत में *राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस* मनाया गया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों के महत्व और उपभोक्ता संरक्षण के व्यापक ढाँचे को उजागर करना है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

- भारत में इसे 1986 के *उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम* के अधिनियमन की स्मृति में स्थापित किया गया था, जिसे 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- इसी उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को *राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस* के रूप में मनाया जाता है।
- *उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019* ने *उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986* को प्रतिस्थापित किया।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना, वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना और उपभोक्ताओं के लिए न्याय तक निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- *उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019* की धारा 2(28) "भ्रामक विज्ञापन" को परिभाषित करती है। यह किसी उत्पाद या सेवा का झूठा वर्णन, गलत गारंटी देना, उपभोक्ताओं को उसकी प्रकृति या गुणवत्ता के बारे में गुमराह करना, अनुचित व्यापार प्रथा के रूप में भ्रामक दावे करना या महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाना शामिल है।

- अधिनियम की धारा 21 *CCPA* को अधिकार देती है कि वह झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। यह व्यापारियों, निर्माताओं, प्रमोटरों, विज्ञापनदाताओं या प्रकाशकों को ऐसे विज्ञापनों को बंद करने या संशोधित करने का निर्देश दे सकता है यदि वे उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक पाए जाते हैं या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

- यह भारत का सर्वोच्च उपभोक्ता प्रहरी है। इसे *उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019* की धारा 10(1) के अंतर्गत स्थापित किया गया और 24 जुलाई 2020 को परिचालन में आया।
- इसका कार्य उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ताओं तथा जनता के हितों के प्रतिकूल झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करना है।
- यह झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं या प्रमोटरों पर ₹10 लाख तक का जुर्माना और दो वर्ष तक की कैद लगा सकता है। पुनरावृत्ति पर यह जुर्माना ₹50 लाख और पाँच वर्ष तक की कैद तक बढ़ सकता है। साथ ही, यह प्रमोटरों को भविष्य के प्रचार से एक वर्ष तक प्रतिबंधित कर सकता है, जिसे बाद में तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

अन्य संबंधित कदम

- भारत में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कई पहलों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ किया है:
  - **उपभोक्ता कल्याण कोष:** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2024–25 में ₹38.68 करोड़ जारी किए गए।
  - **ई-जागृति प्लेटफ़ॉर्म:** जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया। यह कई शिकायत प्रणालियों को एकीकृत करता है ताकि शिकायतों को डिजिटल रूप से दर्ज, ट्रैक और हल किया जा सके। 1.35 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए और 1.31 लाख का निपटारा हुआ, जिससे घरेलू एवं एनआरआई उपभोक्ताओं को लाभ मिला।

- **राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0:** एआई-सक्षम, बहुभाषी प्लेटफ़ॉर्म जो प्रति वर्ष 12 लाख से अधिक शिकायतों को संभालता है। इनमें से कई शिकायतें 21 दिनों के भीतर हल हो जाती हैं। डिजिटल चैनलों से 65% शिकायतें दर्ज होती हैं।
- **जागो ग्राहक जागो पोर्टल और ऐप्स:** डिजिटल उपकरण जो *डार्क पैटर्न* का पता लगाते हैं, सत्यापित ई-कॉमर्स जानकारी प्रदान करते हैं और उपभोक्ताओं को संदिग्ध वेबसाइटों की रिपोर्ट करने की अनुमति देते हैं।
- **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS):** मानकों, प्रमाणन और *BIS Care* ऐप के माध्यम से हॉलमार्क सत्यापन द्वारा उत्पाद सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- **नेशनल टेस्ट हाउस (NTH):** परीक्षण, अंशांकन और गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएँ प्रदान करता है। डिजिटल प्रणालियों और मोबाइल ऐप्स के साथ संचालन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 2024–25 में 45,926 नमूनों का परीक्षण किया गया।
- **कानूनी मापविज्ञान संशोधन (2025):** चिकित्सा उपकरणों की लेबलिंग और पैकेजिंग से संबंधित नियमों को सुदृढ़ करता है, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर *देश-की-उत्पत्ति* का खुलासा अनिवार्य करता है और पान मसाला के लिए मूल्य निर्धारण मानदंडों को सख्त करता है। इसका उद्देश्य नियामक स्पष्टता, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण में सुधार करना है।

Source :PIB

भारत के निर्यात कुछ राज्यों में केंद्रित

संदर्भ

- भारतीय राज्यों पर RBI *हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2024–25* से पता चलता है कि निर्यात वृद्धि कुछ विकसित तटीय और औद्योगिक राज्यों में तीव्रता से केंद्रित हो रही है, जिससे बेहतर क्षेत्रीय एवं रोजगार-संबंधी चुनौतियाँ छिप जाती हैं।

भारत के निर्यात का पैटर्न

- **कुछ राज्यों का बढ़ता प्रभुत्व:** शीर्ष 10 राज्य अब FY25 में भारत के 91% से अधिक निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं, जो FY22 में 84% था।
  - शीर्ष पाँच राज्य – गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश – मिलकर राष्ट्रीय निर्यात का लगभग 70% योगदान करते हैं।
- **क्षेत्रीय असमानता:** पश्चिमी और दक्षिणी तटीय राज्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहराई से एकीकृत हो रहे हैं।
  - उत्तरी और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से धीरे-धीरे व्यापार इंजन से अलग हो रहे हैं।

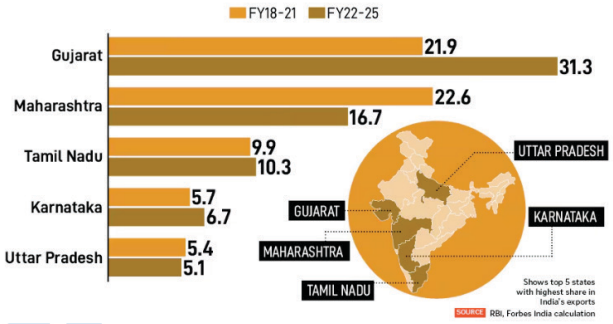

निर्यात केंद्रित होने के पीछे कारण

- **अवसंरचना लाभ:** तटीय राज्यों को बंदरगाहों, औद्योगिक कॉरिडोर, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और वैश्विक बाजारों की निकटता का लाभ मिलता है।
- **सघनता अर्थव्यवस्था:** स्थापित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र पूँजी, कुशल श्रम, आपूर्तिकर्ताओं और सहायक उद्योगों को आकर्षित करता है, जिससे प्रभुत्व सुदृढ़ होता है।
- **लागत से जटिलता की ओर बदलाव:** वैश्विक पूँजी उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है जिनमें उच्च आर्थिक जटिलता, विविधीकृत निर्यात टोकरी और सुदृढ़ संस्थागत क्षमता होती है।
- **वैश्विक व्यापार बाधाएँ:** WTO के आँकड़े दिखाते हैं कि वैश्विक वस्तु व्यापार वृद्धि 0.5–3% तक धीमी हो रही है, जबकि UNCTAD के अनुमान बताते हैं कि शीर्ष 10 निर्यातक वैश्विक व्यापार का लगभग 55% नियंत्रित करते हैं।

- इससे प्रतिस्पर्धा तेज होती है और पहले से एकीकृत क्षेत्रों को लाभ मिलता है।

- **वित्तीय गहराई असमानता:** उच्च-निर्यात वाले राज्य जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 90% से अधिक *क्रेडिट–डिपॉजिट अनुपात* दर्ज करते हैं, जिससे स्थानीय बचत स्थानीय उद्योग को वित्तपोषित कर पाती है।

निर्यात केंद्रित होने का प्रभाव

- **क्षेत्रीय असमानता:** पश्चिमी और दक्षिणी तटीय राज्य वैश्विक व्यापार में गहराई से एकीकृत हो रहे हैं, जबकि उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र अलग हो रहे हैं।
- **निर्यात लचीलापन कमजोर:** कुछ राज्यों और क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता क्षेत्रीय या क्षेत्र-विशिष्ट आघातों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है।
- **सीमित रोजगार सृजन:** निर्यात वृद्धि अब बड़े पैमाने पर रोजगार की गारंटी नहीं देती, जिससे यह विकास का साधन कमजोर हो जाता है।
- **राजकोषीय और सामाजिक दबाव:** लगातार क्षेत्रीय असमानता *सहकारी संघवाद* और *समावेशी विकास* के उद्देश्यों पर दबाव डालती है।

सरकार की पहल – आंतरिक क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु

- **जिला को निर्यात केंद्र (DEH):** प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र में बदलने का लक्ष्य। इसमें अवसंरचना विकास (प्रोसेसिंग, परीक्षण, लॉजिस्टिक्स) और स्थानीय उत्पादकों की क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाता है।
  - इसे *वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)* के साथ एकीकृत किया गया है ताकि विकेंद्रीकृत और संतुलित निर्यात संवर्धन हो सके।
- **निर्यात संवर्धन मिशन (EPM):** भारत का नया, एकीकृत छह-वर्षीय कार्यक्रम (FY 2025–2031) जो प्राथमिकता देता है:
  - गैर-पारंपरिक जिले और भू-आवेष्ठित राज्य।
  - श्रम-प्रधान और MSME-आधारित निर्यात।
- **कृषि निर्यात नीति और APEDA वित्तीय सहायता योजना (FAS):** ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को लक्षित करती है।
- **निर्यात उत्कृष्टता नगर (TEE):** ऐसे नगरों की पहचान करता है जिनमें क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात क्षमता है (हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, चमड़ा)। यह वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास और निर्यात विपणन समर्थन प्रदान करता है।
- **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP):** भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और व्यापार दक्षता में सुधार करने का लक्ष्य।
  - सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में सुधार।
  - ड्राई पोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क और मालवाहक कॉरिडोर का विकास।
  - उत्पादन केंद्रों से बंदरगाहों तक माल की तीव्र आवाजाही।

आगे की राह

- जिला-स्तरीय संस्थानों, लॉजिस्टिक्स, वित्त और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना ताकि आंतरिक क्षेत्र मध्यम एवं उच्च-जटिलता वाले निर्यात मूल्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर सकें।
- निर्यात वृद्धि लक्ष्यों को रोजगार सृजन, क्षेत्रीय प्रसार और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण जैसे मानकों के साथ पूरक करना, ताकि *समावेशी एवं संतुलित व्यापार-आधारित विकास* सुनिश्चित हो सके।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

तंजावुर पेंटिंग

समाचार में

- भारतीय डाक विभाग ने बेंगलुरु से अयोध्या तक दिव्य श्रीराम की अमूल्य *थंजावुर शैली* की पेंटिंग को सफलतापूर्वक पहुँचाया।

थंजावुर पेंटिंग के बारे में

- थंजावुर पेंटिंग (जिसे *तंजोर पेंटिंग* भी कहा जाता है) दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय चित्रकला शैली है, जो

अपने गहरे रंगों, सतही उभार कार्य और सोने की पन्नी के व्यापक उपयोग के लिए प्रसिद्ध है।

- इसका विकास 16वीं–18वीं शताब्दी में नायक और मराठा शासन के दौरान थंजावुर में हुआ।
- यह मुख्यतः हिंदू देवताओं जैसे कृष्ण, राम, लक्ष्मी, सरस्वती एवं पुराणों के दृश्यों को दर्शाती है।
- इन चित्रों में चमकीले रंग, मोटी रेखाएँ और सपाट दृष्टिकोण होता है, जिसमें केंद्र में विशेष रूप से कृष्ण को दर्शाया जाता है।
- पारंपरिक रूप से लकड़ी की पट्टियों पर कपड़े की परत के साथ बनाई जाती हैं। इनमें सोने की पन्नी और सजावटी पत्थरों या मोतियों का उपयोग होता है, जिससे इनका विशिष्ट चमकदार रूप बनता है।
- इसे *भौगोलिक संकेतक (GI) टैग* भी प्राप्त हुआ है।

स्रोत: DD News

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC), लोथल, गुजरात

संदर्भ

- भारत और नीदरलैंड ने समुद्री विरासत में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक *समझौता ज्ञापन (MoU)* पर हस्ताक्षर किए, जो गुजरात के लोथल में *राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)* के विकास की दिशा में एक कदम है।

NMHC के बारे में

- NMHC एक व्यापक सांस्कृतिक और विरासत परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत की लंबी और सतत समुद्री परंपरा को प्रस्तुत करना है।
- इसे गुजरात के लोथल के पुरातात्विक स्थल के पास सरगवाला गाँव में विकसित किया जा रहा है।
- **NMHC के प्रमुख घटक:**
  - 14 दीर्घाओं वाला संग्रहालय
  - लोथल टाउन और ओपन एक्वाटिक गैलरी
  - लाइटहाउस म्यूज़ियम, बगीचा परिसर, तटीय राज्य मंडप और लोथल नगर का पुनर्निर्माण
- इस परियोजना के लिए *बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW)* नोडल मंत्रालय है।
  - *भारतीय पोर्ट्स एसोसिएशन (IPA)* को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

लोथल का ऐतिहासिक महत्व

- लोथल, जिसका अर्थ है "मृतकों का टीला," लगभग 2400 ईसा पूर्व का है।
- यह हड़प्पा (सिंधु घाटी) सभ्यता का एक प्रमुख शहरी केंद्र था।
- लोथल एक समृद्ध बंदरगाह नगर और व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा, जिसने आंतरिक और विदेशी व्यापार को सुगम बनाया।
- **मुख्य पुरातात्विक विशेषताएँ:**
- विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात कृत्रिम डॉकयार्ड, जो 5,000 वर्ष से अधिक प्राचीन है।
- यह गोदी प्राचीन साबरमती नदी के मार्ग से जुड़ा हुआ था।
- उन्नत शहरी नियोजन के प्रमाण, जिनमें दुर्ग (Acropolis), निचला नगर, गोदाम और मनके बनाने की फैक्ट्री शामिल हैं।

स्रोत: DD News

काशिवाज़ाकी-कारिवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

संदर्भ

- जापान 2011 की *फुकुशिमा आपदा* के बाद सर्वप्रथम विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र (काशिवाज़ाकी-कारिवा) का संचालन फिर से शुरू करने जा रहा है।

परिचय

- **अवस्थिति:** यह जापान के निइगाता प्रीफेक्चर (होंशू द्वीप) के काशिवाज़ाकी और कारिवा नगरों में, जापान सागर के तट पर स्थित है।
- **क्षमता:** लगभग 8,200 मेगावाट, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
- **संचालक:** *टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (TEPCO)*।

जापान का परमाणु ऊर्जा पर ध्यान

- जापान चीन, अमेरिका, भारत एवं रूस के बाद विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है और आयातित जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर है।
- 2023 में जापान की लगभग 70% बिजली की आवश्यकता कोयला, गैस और तेल जलाने वाले संयंत्रों से पूरी हुई।
- 2011 के भूकंप और सुनामी से पहले, परमाणु ऊर्जा जापान की लगभग एक-तिहाई विद्युत उत्पन्न करती थी।
- फुकुशिमा के बाद सख्त सुरक्षा मानकों के लागू होने के बाद से पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में 14 रिएक्टरों ने संचालन फिर से शुरू किया है।
- जापान का लक्ष्य 2040 तक नवीकरणीय ऊर्जा को शीर्ष ऊर्जा स्रोत बनाना है।
- योजना के अनुसार, 2040 तक परमाणु ऊर्जा जापान की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% होगी – जो 2022 में 5.6% थी।

स्रोत: TH

चीन ने OPEC+ को पीछे छोड़कर मुख्य तेल मूल्य निर्धारक की भूमिका निभाई

संदर्भ

- 2025 में चीन, OPEC+ नहीं बल्कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों का प्रमुख स्थिरकर्ता बनकर उभरा।

परिचय

- चीन ने 2025 में विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक होने की स्थिति का उपयोग करके OPEC+ के नियंत्रण को चुनौती दी।
- चीन ने लगातार अधिक तेल खरीदा जब कीमतें गिरीं और खरीद कम की जब कीमतें बढ़ीं। इस प्रकार उसने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के लिए *न्यूनतम और अधिकतम सीमा* तय कर दी।
- चीन के भंडारण ने 2025 की दूसरी छमाही में *ब्रेंट क्रूड* की कीमतों को लगभग $65 प्रति बैरल पर स्थिर बनाए रखा, भले ही भू-राजनीतिक तनाव और तेल अधिशेष की आशंका रही।

OPEC के बारे में

- *पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC)* एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में *बगदाद सम्मेलन* में सऊदी अरब, ईरान, वेनेज़ुएला, कुवैत और इराक द्वारा की गई थी।
- वर्तमान में इसके 12 सदस्य हैं: अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेज़ुएला।
- संगठन का उद्देश्य पेट्रोलियम की माँग और आपूर्ति से संबंधित नीतियों का समन्वय करना है ताकि उचित और स्थिर कीमतें सुनिश्चित हों और तेल उत्पादक देशों को स्थिर आय प्राप्त हो।
- इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है, हालाँकि ऑस्ट्रिया OPEC का सदस्य नहीं है।

OPEC+

- OPEC+ में 22 सदस्य हैं, जिनमें 10 प्रमुख तेल उत्पादक देश (रूस, कज़ाखस्तान, अज़रबैजान, ब्रुनेई, बहरीन, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान, सूडान एवं मलेशिया) और 12 OPEC सदस्य शामिल हैं।
- OPEC+ का गठन 2016 में OPEC देशों द्वारा *अल्जीयर्स समझौते* को अपनाने और OPEC व अन्य प्रमुख तेल निर्यातक देशों के बीच *वियना समझौते* पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ।

Source: TH

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक(FRI)

संदर्भ

- सरकार ने *फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (FRI)* की सहायता से केवल 6 महीनों में 660 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी जोखिम को रोक दिया है।

फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (FRI) क्या है?

- FRI एक जोखिम-आधारित मीट्रिक है जो संदिग्ध मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के *मध्यम, उच्च या अत्यधिक उच्च* जोखिम से जुड़ा हुआ वर्गीकृत करता है।

- यह वर्गीकरण विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट का परिणाम है, जिनमें *भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)* का *राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)*, *DoT का चक्षु प्लेटफ़ॉर्म*, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी, TSPs आदि शामिल हैं।
- यह हितधारकों—विशेष रूप से बैंकों, NBFCs और UPI सेवा प्रदाताओं—को अतिरिक्त ग्राहक सुरक्षा उपाय करने में सक्षम बनाता है यदि कोई मोबाइल नंबर FRI का हिस्सा होता है।

स्रोत: AIR

आकाश-NG के मूल्यांकन परीक्षण

समाचार में

- *रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)* ने *नेक्स्ट जेनरेशन आकाश मिसाइल (Akash-NG)* प्रणाली के *यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स (UET)* को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

आकाश-NG

- आकाश–NG एक *सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM)* प्रणाली है, जिसे विभिन्न ऊँचाइयों और गति पर हवाई खतरों के खिलाफ क्षेत्रीय वायु रक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें स्वदेशी *रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर* लगा है और यह *सॉलिड रॉकेट मोटर* से संचालित होती है।
- यह विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों के विरुद्ध वायु रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली प्रणाली है।

स्रोत: AIR

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट

समाचार में

- *भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)* ने *LVM-3 रॉकेट* के माध्यम से *ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट* का प्रक्षेपण किया।

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट

- यह *लो अर्थ ऑर्बिट (LEO)* में तैनात की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी वाणिज्यिक संचार उपग्रह है।
- LEO पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत निकट की कक्षा है, जो सामान्यतः 1,000 किमी से कम ऊँचाई पर होती है।
- इसे अमेरिकी कंपनी *AST स्पेसमोबाइल* ने डिज़ाइन किया है और यह एक LEO नक्षत्र का हिस्सा होगी।
- यह लगभग 6.5 टन वज़न वाला सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रहों में से एक है।

अनुप्रयोग

- यह *डायरेक्ट-टू-मोबाइल कनेक्टिविटी* प्रदान करेगी, जिससे उपग्रह सीधे स्मार्टफोन से जुड़ सकेंगे, बिना ग्राउंड स्टेशन के।
- यह 4G और 5G कॉल, संदेश, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएँ कहीं भी और कभी भी सक्षम करेगी।

महत्व

- ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 मिशन ISRO का LVM-3 का उपयोग करते हुए तीसरा वाणिज्यिक प्रक्षेपण है, जो 2022 और 2023 में *वनवेब उपग्रह* प्रक्षेपणों के बाद हुआ।
- रूस के हटने और ESA के *Ariane-5* के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत एक प्रमुख प्रक्षेपण विकल्प के रूप में उभरा।
- इस प्रक्षेपण के माध्यम से ISRO का लक्ष्य प्रतिस्पर्धियों जैसे *स्पेसएक्स के फाल्कन-9* और *एरियन-6* की तुलना में कम लागत पर भारी-भरकम मिशन संचालित करने की क्षमता प्रदर्शित करना है।

ISRO के इंजन अनुकूलन प्रयास

- ISRO *गगनयान मिशन* की सुरक्षा बढ़ाने और *भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन* के लिए लिफ्ट-ऑफ क्षमता बढ़ाने हेतु इंजन अनुकूलन कर रहा है।
- प्रमुख प्रयासों में वर्तमान *C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज* (28,000 किग्रा प्रणोदक, 20-टन थ्रस्ट) को नए *C32 स्टेज* (32,000 किग्रा प्रणोदक, 22-टन थ्रस्ट) में अपग्रेड करना शामिल है।

- ISRO एक *सेमी-क्रायोजेनिक सेकंड स्टेज* भी विकसित कर रहा है, जो परिष्कृत केरोसीन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। इससे LEO में पेलोड क्षमता 8,000 किग्रा से बढ़कर लगभग 10,000 किग्रा हो जाएगी और लागत कम होगी।

स्रोत: DD

गैंडे का डीहॉर्निंग

संदर्भ

- 2024 तक, विश्व में सभी पाँच प्रजातियों को मिलाकर 28,000 से कम गैंडे बचे हैं।

परिचय

- *ग्रेटर क्रूगर*, दक्षिण अफ्रीकी रिज़र्व जो विश्व की सबसे बड़ी गैंडे की जनसंख्या की रक्षा करता है, ने 2017 से 2023 के बीच 1,985 काले और सफेद गैंडे खो दिए।
- वर्तमान में विश्व में एशियाई और अफ्रीकी गैंडे की पाँच प्रजातियाँ बची हैं: *ब्लैक, जावन, व्हाइट, सुमात्रन एवं ग्रेट वन-हॉर्नड*।
  - इनमें से तीन प्रजातियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं: *ब्लैक, जावन और सुमात्रन*।

अवैध गैंडे के सींग

- गैंडे हाथियों के बाद विश्व के दूसरे सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारी हैं। उनके सींग हड्डी से नहीं बल्कि *केराटिन* से बने होते हैं।
- गैंडे के सींग की माँग क्यों है? लोग गैंडे के सींग को धन और सफलता प्रदर्शित करने के लिए *स्टेटस सिंबल* मानते हैं। इसका परिणाम उच्च माँग और ऊँची कीमतों से प्रेरित बहु-सौ-मिलियन डॉलर का वैश्विक काला बाज़ार है।
  - गैंडे के सींग पारंपरिक चिकित्सा में एशियाई देशों, विशेष रूप से वियतनाम और चीन में उपयोग किए गए हैं।
- शिकारी प्रायः दबाव में कार्य करते हैं और गैंडे को मारना उन्हें पूरा सींग जल्दी एवं बिना प्रतिरोध के हटाने की अनुमति देता है।

डीहॉर्निंग बनाम शिकार

- जिन रिज़र्वों ने सींग हटाए, उन्होंने डीहॉर्निंग से पहले की तुलना में शिकार में 75% की गिरावट दर्ज की।
- व्यक्तिगत स्तर पर, डीहॉर्न किए गए गैंडे शिकार होने के 95% कम जोखिम का सामना करते हैं, जो डीहॉर्निंग के सुदृढ़ निवारक प्रभाव को उजागर करता है।

ग्रेट वन-हॉर्नड राइनो

- ग्रेट वन-हॉर्नड राइनो (या "भारतीय गैंडा") गैंडे की सबसे बड़ी प्रजाति है।

- **दिखावट:** भारतीय गैंडे भूरे-भूरे रंग के होते हैं और बाल रहित होते हैं।
- **आवास:** हिमालय के दक्षिणी आधार पर घास के मैदान और झाड़ीदार क्षेत्र।
- **वितरण:** भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार।
  - भारत में ये असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN स्थिति: **सुभेद्य**
  - CITES: परिशिष्ट I (इसमें वे प्रजातियाँ शामिल हैं जो विलुप्ति के खतरे में हैं। इनका व्यापार केवल असाधारण परिस्थितियों में अनुमति है)।

Source: TH

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल

समाचार में

- प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और *ज्ञानपीठ पुरस्कार* विजेता *विनोद कुमार शुक्ल* का निधन हो गया।

विनोद कुमार शुक्ल

- वे एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और प्रयोगधर्मी लेखक थे।
- वे *छत्तीसगढ़* से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे।
- वे अपने सरल, संवेदनशील शैली के लिए जाने जाते थे, जो रोज़मर्रा के जीवन को चित्रित करती थी।
- उनकी प्रमुख रचनाओं में *नौकर की कमीज*, *दीवार में एक खिड़की रहती थी* और *खिलेगा तो देखेंगे* शामिल हैं।

ज्ञानपीठ पुरस्कार

- यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य में उत्कृष्टता प्राप्त की है।
- इसे 1961 में *भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट* द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था।
- प्रारंभ में इसे सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता था, बाद में इसे लेखक के संपूर्ण साहित्यिक योगदान को सम्मानित करने के लिए परिवर्तित किया गया, जिसमें अंग्रेज़ी सहित सभी भारतीय भाषाएँ शामिल हैं।
- चयन प्रक्रिया में *भाषा सलाहकार समितियाँ* और एक स्वतंत्र *चयन बोर्ड* शामिल होता है, जिससे निष्पक्षता और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

Source :IE

■■■■

NEXT IAS